

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0/ 1014 /21, लखनऊ:दिनांक: 07 , जून-2021,
-संशोधित आदेश-

मुख्यालय के आदेशांक-960/2021 दिनांक 25.05.2021 द्वारा लखनऊ में दिनांक 07.06.2021 से दिनांक 11.06.2021 तक युगल पीठ गठित की गयी थी।

आदेशांक-992/2021 दिनांक 01.06.2021 द्वारा सदस्य पीठ-3, लखनऊ के अवकाश पर होने के कारण न्यायिक, सदस्य पीठ-1, लखनऊ को नामित किया गया था। सदस्य पीठ-1, लखनऊ द्वारा दिनांक 07.06.2021 व दिनांक 08.06.2021 हेतु अपने पत्र संख्या-297/2021 दिनांक 04.06.2021 द्वारा आकस्मिक अवकाश आवेदित किया गया है।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.06.2021 तक लखनऊ में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है।

अतः सम्यक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिनांक 07.06.2021 व दिनांक 08.06.2021 को नियत वादों को दिनांक 14.06.2021 व दिनांक 15.06.2021 के लिये स्थगित किया जायें। इस अवधि की युगल पीठ में मेरे साथ सदस्य पीठ-2, लखनऊ सम्मिलित होंगे। दिनांक 09.06.2021 से दिनांक 11.06.2021 को नियत वाद दिनांक 16.06.2021 से दिनांक 18.06.2021 के लिये स्थगित किया गया है। इस अवधि की युगल पीठ के लिये न्यायिक सदस्य पीठ-1, लखनऊ व सदस्य पीठ-2, लखनऊ को नामित किया जाता है।

तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

ह0/07.06.2021

(महताब अहमद)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन:- वा0क0अधि0/पू0पी0/ 1014 /2021, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1,2 व 3 लखनऊ ।
2. मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक/विवरण/कम्प्यूटर/मुख्यालय।

माननीय अध्यक्ष, महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।